पत्र संख्याः—15/एम 1—64/2015 —1615

शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

प्रो०(डा०) खालिद मिर्जा,
निदेशक(उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक.........14/8/...2015

विषयः— वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों के शिक्षक के वेतन निर्धारण के सत्यापन हेतु सरकार द्वारा गठित वेतन सत्यापन कोषांग कार्यरत है। कोषांग के गठन का मूल उद्देश्य विश्वविद्यालय के लिए उनके कर्मियों का डाटा वेस तैयार कर वास्तविक बजट निर्माण करना है।

2. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लगभग 900 शिक्षकों का आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग में अबतक अप्राप्त है। जिन शिक्षकों द्वारा दिनांक 28.02.2015 तक आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग में जमा नहीं किया गया है, उनके वेतन का 25 % राशि कटौती कर वेतन भुगतान करने का निर्णय विभागीय पत्रांक 57 दिनांक 13.02.2015 द्वारा लिया गया है।

3. फुटाव (फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टिचर एसोसिएसन ऑफ बिहार) से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय पत्रांक 57 दिनांक 13.02.2015के कार्यान्वयन को निर्गत तिथि से अर्थात 13.02.2015 से अगले छः माह तक के लिए स्थगित किया जाता है। इस अवधि में संबंधित शिक्षक अपना आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग में जमा करेंगे। छः माह की निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन समर्पित नही करने पर 25 प्रतिशत की राशि की कटैाति कर वेतन भुगतान किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

14-8-15

(खालिद मिर्जा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)